ई–पैंशन योजना के अधीन पैंशन भोगियों के अधिकार

1. योजना के अधीन पैंशनर भारत वर्ष में कही भी निम्न बैंकों में अपना पैंशन खाता खुलवा सकते है :–
    - स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
    - पंजाब नैशनल बैंक
    - सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
    - सिण्डीकेट बैंक
    - आई. डी. बी. आई. बैंक
    - यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
    - स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
    - बैंक ऑफ बड़ौदा
    - आई. सी. आई. सी. आई. बैंक
    - एच.डी.एफ.सी बैंक
    - ऐक्सिस बैंक
    - बैंक ऑफ इण्डिया

2- योजना के अधीन पैंशन प्राप्त करने हेतू पैंशन भोगी को प्रत्येक माह खजाना/उप खजाना में जाकर पैंशन फार्म भरने की आवश्यकता नही होगी। प्रत्येक माह की पहली तारीख को पैंशन स्वतः पैंशन भोगी के बैंक खाते में जमा हो जायेगी तथा किसी भी परिस्थिति में यह प्रत्येक माह की सात तारीख से अधिक विलम्ब नही होगी। यदि पैंशन धारक को माह की सात तारीख के बाद भी पैंशन नही मिलती उस दशा में पैंशन भोगी सम्बन्धित कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी के अतिरिक्त अपनी शिकायत treasuries@hry.nic.in पर भी दे सकता है। जिसका समाधान आगामी तीन कार्य दिवसों में कर दिया जायेगा।

3- इस योजना के अधीन पैंशन भोगी को मंहगाई भत्ते की किश्त, पैंशन रिवीजन, एल.टी. सी भत्ता, लाईफ टाईम ऐरियर, निर्धारित आयु सीमा के बाद पैंशन बढ़ोतरी , क्मयूटिड पैंशन का रिस्टोरेशन एंव सरकार द्वारा प्रद्त समय–समय पर पैंशन भोगियों को दिये

जाने वाले लाभ का वितरण शीघ्र ही ऑन लाईन द्वारा पैंशन भोगियों के खाते में कर दिया जायेगा।

4. पैंशन भोगी को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह बैंक में अपने पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाता खुलवा सकता है बशर्ते उसके पति/पत्नी का नाम पी.पी.ओ में पारिवारिक पैंशन के स्थान पर दर्शाया गया हो। इस आशय का प्रमाण पत्र ई–1 फार्म पर उसे बैंक शाखा से प्राप्त करके खजाना अधिकारी को देना होगा। यह फार्म विभाग की website:- www.hrtreasuries.gov.in (Click e-Pension Instructions- Scheme for payment of pension through E-Pension System) पर उपलब्ध है।
5. पैंशन भोगी को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह प्रत्येक माह अपने खाते में जमा पैंशन राशि की जांच करे यदि इसमे कोई त्रुटि अथवा विसंगति पाये जाने पर वह सम्बन्धित खजाना/उप खजाना अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
6. STR Volume–I के नियम 4.99 Clause (2), (5) व (6) के अनुसार यह अनिवार्य है कि पैंशन भोगी अपनी पैंशन से सम्बन्धित आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज जैसे जीवित होने का प्रमाण पत्र, नॉन इम्पलॉयमैंट प्रमाण पत्र व नॉन मैरिज/री–मैरिज प्रमाण पत्र हरियाणा के किसी भी नजदीक के खजाना/उप खजाना में जमा करवा सकता है अन्यथा सिस्टम द्वारा आगामी पैंशन का भुगतान नही किया जायेगा। पैंशन भोगियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले उक्त प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रारूप विभाग की website:- www.hrtreasuries.gov.in (Click e-Pension Instructions- Download Annexure IV(Life Certificate, Non Employeement Certificate and Remarriage or Non-Marriage Certificate) पर उपलब्ध हैं।

   STR Volume–I के नियम 4.101 Clause (3) में यह प्रावधान है कि कोषाधिकारी प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में पैंशन भोगी का भौतिक सत्यापन करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि पैंशन भोगी जीवित है। उक्त नियम के नोट 2 में यह भी प्रावधान है कि यदि पैंशन भोगी अत्याधिक वृद्धावस्था, शारीरिक कमजोरी व अन्य किसी शारीरिक व्याधी से ग्रस्त है तो कोषाधिकारी पैंशन भोगी को स्वयं प्रस्तुत होने के लिये बाध्य नहीं करेगा अपितु STR Volume–I के नियम 4.104(a) में वर्णित प्राधिकृत अधिकारियों से जीवित होने का प्रमाण प्रत्र प्राप्त करेगा।

   इसके अतिरिक्त STR Volume–I के नियम 4.103 में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई महिला पैंशनभोगी सामाजिक प्रथानुसार सार्वजनिक स्थल पर जाने में असमर्थ है अथवा कोई पुरूष पैंशनभोगी जोकि शारीरिक बिमारी अथवा अक्षमता से ग्रसित है तो वह अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र किसी जिम्मेवार सरकारी अधिकारी या अन्य किसी विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित आयुक्त पेंशन भोगी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत न होने बारे छूट दे सकता है।

7. योजना के अधीन यह अनिवार्य है कि पैंशन धारक 6 माह में एक बार हरियाणा के किसी भी नजदीक के खजाना/उप खजाना में जाकर अपनी पैंशन बुक को अपडेट करवा सकता है अन्यथा सिस्टम द्वारा आगामी पैंशन का भुगतान नही किया जायेगा। यदि पैंशन धारक स्वयः जाने में असमर्थ है तब वह ई–2 फार्म का प्रयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को भी अधिकृत कर सकता है। यह फार्म विभाग की website:- www.hrtreasuries.gov.in (Click e-Pension- Download PPO updation form E-2) पर उपलब्ध है।
8. पैंशन भोगी की मृत्यु की सूचना हरियाणा के किसी भी नजदीक के खजाना/उप खजाना में दी जा सकती है।
9. पारिवारिक पैंशन आरम्भ करने हेतू पैंशनभोगी को सम्बन्धित खजाना अथवा उप खजाना में व्यक्तिगत रूप से आना होगा। आवश्यक प्रपत्रों की जांच उपरान्त ही सम्बन्धित खजाना अथवा उप खजाना द्वारा पारिवारिक पैंशन/एल.टी.ए पर कार्यवाही की जायेगी।